न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
21/2024	19.6.2024	29.8.25

केदारलाल पुत्र सुन्दरलाल, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. दलजीत सिंह पुत्र दशरथ सिंह, राजपूत, नसिया कोलोनी, गंगापुर सिटी
2. अजय सिंह पुत्र दशरथ सिंह, राजपूत, नसिया कोलोनी, गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 596 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 597 रकबा 0.68 है0 ग्राम चूली में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 596 के दक्षिण दिशा में पूरव से पश्चिम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 608, 607, 606/2184 हैं जिनके मध्य की डौल को लेकर आये दिन विवाद पैदा होते रहते हैं। इसलिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है ताकि दोनों पक्षों के मध्य आये दिन पैदा होने वाले विवादों को दूर किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि ख0नं0 596 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 597 रकबा 0.68 है0 ग्राम चूली की पत्थरगढी करवाए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के जबाब में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थी ने ख0नं0 596, 597 में न्यू बस्ती चूली के नाम से प्लाटिंग का नक्शा बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को भूखण्ड विक्रय कर दिए हैं। भूमि मात्र प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है परन्तु इस भूमि से प्रार्थी का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि ख0नं0 596 के दक्षिण दिशा वाली भूमि का खातेदार कंचनसिंह पुत्र सरदारसिंह राजपूत है जिसको प्रकरण में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाकर विवाद का निर्धारण कराना उक्त प्रार्थना पत्र की महत्वपूर्ण एवं अनिवार्यता [illegible]सके अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण [illegible] पूर्व ही इसी भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में एक दावा [illegible] बनाम रम्बो [illegible] के नाम से विचाराधीन है । इस दावे के साथ जो ट[illegible]आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

किया गया था वह माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत की थी जो भी खारिज हो चुकी है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जो सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह पूर्णरूप से गलत है क्योंकि उक्त सीमाज्ञान करने से पूर्व पडौसी खातेदारों को अथवा मिन जबावदारान को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है तथा एकतरफा में गलत प्रकार से सीमाज्ञान रिपोर्ट बनाई गई है। इस सीमाज्ञान रिपोर्ट की जानकारी होने पर मिन जबाबदारान द्वारा दिनांक 12.6.2024 को एक आपत्ति प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार जी गंगापुर सिटी को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा पूर्व में भी टी0आई0 प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश से दो बार सीमाज्ञान किया गया है तथा तहसीलदार महोदय द्वारा अपनी रिपोर्ट में ख0नं0 597 व 606 का सीमाज्ञान करने पर करीब 20—25 मीटर की दोनों साइड में ओवरलेपिंग आने का तथ्य अंकित किया है एवं स्पष्ट किया है कि सेटिलमेंट टीम द्वारा ई.टी.एस. मशीन से ही सीमाज्ञान करवाया जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से सीमाज्ञान हुए बिना ही पत्थरगढी का आदेश दिया जाना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने योग्य है। इसके अलावा प्रार्थी ने सरकार की सिवायचक भूमि ख0नं0 597/2158 एवं ख0नं0 596/2157 की भूमि पर भी प्लाटिंग कर भूखण्ड विक्रय किए हें। प्रार्थी की नियत खराब है, स्वयं की खातेदारी भूमि को भूखण्डो के रूप में दीगर व्यक्तियों को बेचने के बाद प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत किया है। पत्थरगढी कराने का अधिकार केवल काबिज काश्तकार का है, ऐसे खातेदार का नहीं है जो भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विक्रय कर चुका हो। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 110, 249, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.5.2024 प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.2024 की फोटोकोपी, तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2021/263 दिनांक 23.9.2021 की फोटोकोपी प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.0[illegible] IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी भूमि ख0नं0 596, 597 का खातेदार काश्तकार है। ख0नं0 596 के दक्षिण दिशा में पूरव से पश्चिम की ओर स्थित भूमि के मध्य स्थित डौल को लेकर अप्रार्थीगण से आये दिन विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी होना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपनी भूमि को भूखण्डो में विभक्त कर उसका बेचान दीगर व्यक्तियों को कर दिया है। प्रार्थी ने गलत तरीके से दिनांक 22.5.2024 को भूमि का सीमाज्ञान करवाया है। इसमें पडौसी खातेदारों को नहीं बुलाया गया न ही इनको इस सीमाज्ञान के बारे में बताया गया। इसकी आपत्ति अप्रार्थीगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी को भी प्रस्तुत की थी। इसलिए गलत तथ्यों पर प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी भूमि ख0नं0 596, 597 का खातेदार काश्तकार है एवं दिनांक 22.5.2024 को उसने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराया है। भूमि का सीमाज्ञान कराने के बाद भूमि का खातेदार होने के नाते प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह भूमि ख0नं0 596 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 597 रकबा 0.68 है0 ग्राम चूली की पत्थरगढी प्रार्थी को नियमानुसार करवावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:39 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)